रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 1981/ बैसाख 21, 1903
No. 173] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 1981/VAISAKHA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1981

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (15 वां संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये 1 जून, 1981 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 235-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'235-ख उन मामलों में जहां शुल्क अभ्यापित सहित संदत्त किया जाता है, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—(1) जहां कोई निर्धारिती शुल्क अभ्यापित सहित संदाय करना चाहता है, वहां वह समुचित अधिकारी को इस आशय का एक पत्र परिदत्त करेगा और उसमें शुल्क के अभ्यापित सहित संदाय के लिए आधार देगा ।

(2) उक्त पत्र की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी उसकी अभिस्वीकृति भी देगा ।

(3) इस प्रकार दी गई अभिस्वीकृति उपनियम (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस बात का सबूत होगी कि निर्धारिती ने उस दिन से शुल्क अभ्यापित पत्र समुचित अधिकारी को परिदत्त किया गया था ।

(4) गेट पास हटाए जाने के आवेदन-पत्र और प्रारूप आर टी-12 की सभी प्रतियों पर शुल्क का अभ्यापित्त सहित संदाय किया गया पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(5) ऐसे मामलों में जहां किसी ऐसे आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध जिससे अभ्यापित्त सहित शुल्क जमा करना उसके लिए आवश्यक हो गया था किसी निर्धारिती को किसी अपील या पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है, वहां वह आपत्ति पत्र के परिदान की तारीख के तीन मास के अन्दर सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर को एक विस्तृत अभ्यावेदन दे सकेगा ।

(6) ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध जिससे अभ्यापित सहित शुल्क का संदाय करना उसके लिए आवश्यक हो गया था, किसी निर्धारिती को अपील या पुनरीक्षण का ऐसा उपचार उपलब्ध है वहां वह ऐसी अवधि के भीतर, यथास्थिति,

अपील या पुनरीक्षण फाइल कर सकता है जो ऐसी अपील या पुनरीक्षण फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट है ।

(7) उपनियम (5) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन पर विनिश्चय की या उपनियम (6) में निर्दिष्ट अपील या पुनरीक्षण की तामील होने पर, निर्धारिती को शुल्क का अभ्यर्पित सहित संदाय करने का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु निर्धारिती को ऐसी अवधि के दौरान जो यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उपलब्ध है और, यथास्थिति, ऐसी अपील या पुनरीक्षण के लम्बित रहने के दौरान शुल्क जमा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(8) यदि इस नियम के किसी भी उपबन्ध का पालन किया गया है तो यह माना जाएगा कि निर्धारिती ने आपत्ति के बिना, शुल्क का संदाय किया है ।

टिप्पण :—इस नियम के अधीन कोई आपत्ति पत्र या अभ्यावेदन प्रतिदाय के लिए दावा नहीं माना जाएगा ।

[सं. 115/81-के. उ. शु./अधिसूचना सं. 115/81-के. उ. शु. फा. सं. 223/14/81-के. उ. शु.-6]

आर देब, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (15th Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 1981.

2. In the Central Excise Rules, 1944, after rule 233-A, the following rule shall be inserted, namely :—

'233-B. Procedure to be followed in cases where duty is paid under protest.—(1) Where an assessee desires to pay duty under protest, he shall deliver to the proper Officer a letter to this effect and give grounds for payment of the duty under protest.

(2) On receipt of the said letter, the proper Officer shall give an acknowledgement to it.

(3) The acknowledgement so given shall, subject to the provisions of sub-rule (4), be the proof that the assessee has paid the duty under protest from the day on which the letter of protest was delivered to the proper Officer.

(4) An endorsement "Duty paid under protest" shall be made on all copies of the gate-pass, the Application for Removal and Form R.T. 12.

(5) In cases where the remedy of an appeal or revision is not available to the assessee against an order or decision which necessitated him to deposit the duty under protest, he may, within three months of the date of delivery of the letter of protest, give a detailed representation to the Assistant Collector of Central Excise.

(6) In cases where the remedy of an appeal or revision is available to the assessee against an order or decision which necessitated him to deposit the duty under protest, he may file an appeal or revision within the period specified for filing such appeal or revision, as the case may be.

(7) On service of the decision in the representation referred to in sub-rule (5) or of the appeal or revision referred to in sub-rule (6) the assessee shall have no right to deposit the duty under protest :

Provided that an assessee shall be allowed to deposit the duty under protest during the period available to him for filing an appeal or revision, as the case may be, and during the pendency of such appeal or revision, as the case may be.

(8) If any of the provisions of this rule has not been observed, it shall be deemed that the assessee has paid the duty without protest.

NOTE.—A letter of protest or a representation under this rule shall not constitute a claim for refund.

[No. 115/81-CE/Notification No. 115/81-C.E./
F. No. 223/14/81-CX. 6]

R. DEB, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981